SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारत में देवदासी प्रथाः उद्भव, विकास एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य

सचिन गौतम, शोधार्थी, **शर्मिला,** पीएच–डी, शोध निर्देशक, हिंदी विभाग
गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
सचिन गौतम, शोधार्थी
शर्मिला, पीएच–डी, शोध निर्देशक
E-mail : gautamsachinkumar57@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 03/06/2026
Revised on : 04/08/2026
Accepted on : 13/08/2026
Overall Similarity : 00% on 05/08/2026

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
0%
Overall Similarity

Date: Aug 5, 2026 (02:37 PM)
Matches: 0 / 3237 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found, your document looks healthy.

Verify Report: Scan this QR Code

शोध सार

भारतीय समाज की जटिल सामाजिक संरचना में देवदासी प्रथा एक ऐसी प्रथा रही है जो समय के साथ–साथ अपने मूल स्वरूप से विचलित हो गई और सामाजिक शोषण का हथियार बन गई। अपने प्रारंभिक समय में यह प्रथा धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी हुई थी, परन्तु धीरे–धीरे विकृत होकर यह स्त्रियों के यौन शोषण का माध्यम बन गई। मध्यकाल तथा औपनिवेशिक काल तक पहुँचते–पहुँचते यह प्रथा स्त्री–शोषण, लैंगिक असमानता, जातिगत भेदभाव तथा धार्मिक रूढ़ियों का माध्यम बन गई। विशेष रूप से दलित एवं वंचित समुदायों की महिलाओं को इस प्रथा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और यौन शोषण का सामना करना पड़ा। समय–समय पर अनेक सुधारकों, संस्थाओं तथा सरकार द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने के अनेक प्रयास किये गए। तमाम प्रयासों के बावजूद दक्षिण भारत के कई राज्यों में यह प्रथा अभी भी बदस्तूर जारी है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य देवदासी प्रथा के उद्भव, ऐतिहासिक विकास तथा वर्तमान समय में इसके स्वरूप का समग्र विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि धार्मिक आस्था से जुड़ी यह संस्था किन सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से शोषणकारी व्यवस्था में परिवर्तित हुई तथा आधुनिक भारत में इसके अवशेष किस रूप में विद्यमान हैं साथ ही विभिन्न राज्यों में लागू कानूनी प्रावधानों, सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुधार आंदोलनों तथा गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका का भी समालोचनात्मक विवेचन किया गया है। यह शोध पत्र देवदासी प्रथा के ऐतिहासिक विकास, सामाजिक यथार्थ और समकालीन चुनौतियों को समझने में सहायक होने के साथ–साथ स्त्री–अधिकार, सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार संबंधी विमर्श को भी नई दृष्टि प्रदान करता है साथ ही यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि किसी भी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक परंपरा का मूल्यांकन मानवीय गरिमा, समानता और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों के आलोक में किया जाना चाहिए।

मुख्य शब्द

देवदासी प्रथा, मंदिर संस्कृति, स्त्री–विमर्श, सामाजिक न्याय, लैंगिक असमानता, धार्मिक परंपरा.

भूमिका

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भिन्न–भिन्न संस्कृतियाँ, परम्पराएँ, रीति–रिवाज एक साथ देखे जा सकते हैं। भिन्न–भिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाएँ देखने को मिल जाती हैं। इनमें कुछ प्रथाएँ ऐसी भी थी जिन्होंने लंबे समय तक समाज को जोड़े रखा और कुछ प्रथाएँ ऐसी भी थी जो प्रारम्भ से ही किसी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग विशेष के विरुद्ध थी। इन प्रथाओं में समय के साथ–साथ और भी विकृतियाँ आई और ये प्रथाएँ समाज के नाम पर कलंक बन गई। देवदासी प्रथा एक ऐसी ही प्रथा थी जो भारत में लगभग छठी–सातवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुई। देवदासी का शाब्दिक अर्थ है – देव की दासी अर्थात् ऐसी स्त्री जिसका कार्य देव की सेवा करना है। देवदासी नाम में भले ही धार्मिक पवित्रता का भाव छिपा हुआ है परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। धार्मिक–नैतिक भाव से जुड़ी हुई यह प्रथा अपने चरम तक पहुँचते–पहुँचते धार्मिक वेश्यावृत्ति में परिवर्तित हो गई। इसे मंदिर व राज्य का संरक्षण भी प्राप्त हुआ।

इस प्रथा में मुख्यतः कुँवारी लड़कियों को भिन्न–भिन्न कारणों से परिवार के लोगों द्वारा मंदिरों में दान कर दिया जाता था। दक्षिण भारत से प्राप्त प्राचीन एवं मध्यकालीन ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोतों से देवदासियों के लिए सुले, सानी, भोगम और पात्रा जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। तेलुगू और कन्नड़ में इसका अर्थ वेश्या होता है। देवदासी शब्द संस्कृत का है जो औपनिवेशिक काल के दौरान प्रचलन में आया।[1]

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

देवदासी प्रथा के इतिहास के विषय में कोई सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होती। भिन्न–भिन्न स्रोतों से भिन्न–भिन्न जानकारी प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि भिन्न–भिन्न स्थानों पर यह प्रथा अलग–अलग रूपों में प्रचलित रही है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम इस प्रथा का उल्लेख मिलता है।

ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में पहली बार 1004 ईस्वी के तमिल भाषा में लिखे गए एक शिलालेख में इस प्रथा का वर्णन मिलता है। इस शिलालेख में 400 देवदासियों के नाम तथा उनका विवरण अंकित है। यह देवदासियाँ चोल वंश के शासक गजराज के शासनकाल में वैष्णव मंदिर में नियुक्त थीं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अधिकांश विद्वान मंदिर संस्कृति के आरंभ के साथ ही देवदासी प्रथा का आरंभ भी मानते हैं। देवदासी प्रथा धर्म की आड़ में अस्तित्व में आई तथा सामाजिक प्रथा बन गई। अपने अंतिम समय तक आते–आते यह प्रथा दुराचार और व्यभिचार का माध्यम बन गई।

दूसरा मुख्य ऐतिहासिक साक्ष्य राष्ट्रकूट व चोल अभिलेखों से प्राप्त होता है। इन अभिलेखों में मंदिर में रंगभोग व अंगभोग कार्यक्रम के आयोजन का वर्णन है जिनमें बड़ी संख्या में देवदासियाँ नृत्य करने के लिए शामिल होती थीं। राजा कृष्ण तृतीय के समय के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि देवदासियों को मंदिरों में नृत्य के लिए विधिवत शास्त्रीय नृत्य व संगीत की शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए मंदिरों में कुशल नृत्यगुरु व शिक्षक नियुक्त होते थे।[2]

विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से भी हमें देवदासी प्रथा से संबंधित कई ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने वृत्तांतों में लिखते हैं कि सातवीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने मुल्तान के सूर्य मंदिर में देवदासियों का नृत्य देखा था।[3] अल्बेरुनी ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है कि मंदिरों में देवदासियाँ बाहर के व्यक्तियों से दैहिक संबंधों के बदले धन लेती थी। देवदासियों से प्राप्त यह आय राजा अपने सैन्य खर्च के लिए इस्तेमाल करता था।[4] इस प्रकार हमें भारतीय इतिहास के स्रोतों, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों व प्राचीन ग्रंथों से देवदासी प्रथा के इतिहास का कुछ अंश ज्ञात होता है।

औपनिवेशिक काल तक आते–आते यह प्रथा पूर्णतः विकृत हो चुकी थी। यह प्रथा धार्मिक उद्देश्यों से भटककर स्त्रियों के सामाजिक शोषण का साधन बन गई। देवदासी प्रथा में आई इस विकृति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि देवदासी बनाई जाने वाली स्त्रियों का वर्ग चरित्र बदल गया। प्रारंभ में यह प्रथा उच्च वर्गों से जुड़ी थी। इतिहास में कोई राजकन्याओं के देवदासी बनाये जाने के उदाहरण भी मिलते हैं। बाद में यह प्रथा मुख्यतः समाज की तथाकथित निम्न जातियों और दलित समुदाय तक सीमित हो गई। वर्तमान में दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई रूपों में देवदासी प्रथा प्रचलित है जिनमें मुख्यतः निम्न जातियों की महिलाएँ ही शोषण व उत्पीड़न का शिकार होती हैं।

देवदासी प्रथा के कारण

देवदासी प्रथा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है कि इसका स्वरूप समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहा। प्रारंभ में धार्मिक आस्था और मंदिर–सेवा से जुड़ी यह व्यवस्था धीरे–धीरे अनेक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारणों के प्रभाव में अपने मूल उद्देश्य से विचलित हो गई। देवदासी प्रथा की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए उन प्रमुख कारणों का विश्लेषण आवश्यक है जिन्होंने इसके उद्भव, विस्तार तथा दीर्घकालिक अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

देवदासी प्रथा का एक मुख्य कारण धार्मिक समर्थन या लोगों का धार्मिक अंधविश्वास है। भारत में धर्म लोगों के जीवन का महत्वूर्ण अंग है। लोग अपने–अपने धार्मिक विश्वासों को मानते हुए धर्म के मार्ग का अनुसरण करने का प्रयत्न करते हैं। तथाकथित धर्माधिकारियों ने लोगों के धर्म के प्रति इसी विश्वास का लाभ उठाया तथा अपने स्वार्थ के लिए देवदासी प्रथा जैसी कई बुरी सामाजिक प्रथाएँ लोगों पर लाद दी। इस प्रथा से जिन पुजारियों व पुरोहितों के व्यक्तिगत हित जुड़े हुए हैं, वे इस प्रथा को यथावत रखना चाहते हैं। इसके लिये उन्होंने लोगों के बीच बहुत सारी भ्रामक बातें प्रचलित की। इनके अनुसार जितनी कम आयु की कन्या मंदिर में समर्पित की जाती है, ईश्वर भी उसके प्रति उतना ही समर्पित होता है और उसके परिवार को आशीर्वाद देता है।[5] देवदासी प्रथा से संबंधित भारतीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लोगों में यह धारणा प्रचलित थी कि देवता को समर्पित की गई चीजों से उन्हें भरपूर सुख–समृद्धि प्राप्त होगी।[6] इस रिपोर्ट के अनुसार जब लोग जब अपनी अस्वस्थता, गरीबी व बांझपन जैसी समस्याओं को लेकर मंदिरों में जाते थे, तब मंदिर के पुजारी इन समस्याओं को देवी/देवता का प्रकोप बताते थे। समाधान के रूप में वह सुझाव देते थे कि उन्हें अपनी प्रिय वस्तु देवता को भेंट करनी चाहिये। अपनी प्रिय वस्तु को मंदिर में भेंट करने की यह प्रथा धीरे–धीरे अपनी कन्या को मंदिर में भेंट करने तक पहुँच गई।[7] इस प्रकार स्वयं मंदिर के पुजारियों ने इस प्रथा को यथावत रखा और धर्म के नाम पर लड़कियों को देवदासी बनाये जाने का क्रम जारी रहा।

इस प्रथा का एक और मुख्य कारण लोगों में आर्थिक अभाव का होना था। अधिकांश देवदासियाँ समाज की निम्न कही जाने वाली जातियों से संबंधित थी। इन जातियों को वर्ण–व्यवस्था द्वारा निर्धारित कार्य जैसे साफ–सफाई व अन्य कार्य करने पड़ते थे। इन कार्यों से प्राप्त आय से वे अपने परिवार का पालन–पोषण भी ठीक से नहीं कर पाते थे। इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में बहुत से परिवार अपनी युवा बेटियों पर देवदासी बनने के लिए दबाव डालते थे। वास्तव में आर्थिक प्रोत्साहन उन्हें अपनी बेटियों को देवदासी बनाने के लिए आकर्षित करता था।

दहेज की समस्या भी देवदासी प्रथा का एक बड़ा कारण है। कई बार माता–पिता दहेज से बचने के लिए भी अपनी लड़कियों को मंदिर में समर्पित कर देते थे।[8] देवदासी प्रथा का एक अन्य प्रमुख कारण जातिगत दबाव भी है। यह प्रथा अधिकांशतः अनुसूचित जातियों को लक्षित करती है। मंदिरों में लड़कियों को समर्पित करने का चलन बड़े स्तर पर गैर ब्राह्मण समुदायों में है।[9]

गेल ओमवेट के एक अध्ययन से पता चलता है कि वेश्यावृत्ति में संलिप्त 90 प्रतिशत से अधिक देवदासियाँ दलित वर्ग से हैं।[10] वर्ष 2001 में प्रकाशित राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। इस अध्ययन का परिणाम यह है कि कर्नाटक–महाराष्ट्र सीमा पर लगभग 2500 देवदासियाँ हैं और वे सभी दलित हैं।

निर्धनता एवं निम्न जातियों का आपस में विशेष सम्बन्ध है। अतः ऐसे परिवारों में निर्धनता तथा जातीय दबाव एक साथ काम करते हैं। एक तरफ उच्च वर्ग का परम्परा के नाम पर दबाव रहता है तथा दूसरी तरफ निर्धनता से मुक्ति की लालसा इन परिवारों को अपनी लड़की को देवदासी बनाने के लिए प्रेरित करती है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित देवदासी प्रथा

भारत में देवदासी प्रथा क्षेत्र व राज्यों के अनुसार भिन्न–भिन्न रूपों में जारी रही। उत्तर भारत में मगध, श्रावस्ती तथा कौशाम्बी में और दक्षिण भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रावणकोर, केरल, तमिल, विजयनगर तथा गोलकुंडा आदि क्षेत्रों में यह प्रथा प्रचलित रही है। इन सभी क्षेत्रों में देवदासियों के दीक्षा ग्रहण की प्रक्रिया, उनके जीवन निर्वाह का ढंग तथा पूजा–पाठ की पद्धतियाँ भिन्न–भिन्न थी।

उड़ीसा में देवदासियों को महारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस प्रथा का प्रचलन बारहवीं शताब्दी में सबसे अधिक रहा। महारी देवदासियाँ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान के लिए भजन गाती थी। इनका विवाह भगवान जगन्नाथ से पूरे विधि–विधान से होता था । ईश्वर को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ये आजीवन कुँवारी रहती थी। महारी देवदासियों की परम्परा को बनाये रखने के लिए प्रत्येक महारी देवदासी को एक नाबालिग लड़की को गोद लेना पड़ता था तथा उसे प्रशिक्षण देना पड़ता था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रिकॉर्ड्स और राईट्स के अनुसार लगभग 100 वर्ष पहले तक मंदिर में 25 देवदासियाँ थी।[11]

कर्नाटक में यह प्रथा येल्लम्मा परंपरा के रूप में आज भी विद्यमान है। इसमें कम आयु में लड़कियों को देवी की सेवा में समर्पित कर दिया जाता है। कर्नाटक के बागलकोट की एक रिपोर्ट के अनुसार येल्लम्मा देवदासियों को वेश्यावृत्ति के लिए सामाजिक स्वीकृति मिली हुई होती है। अतः वेश्यावृत्ति करने से इन्हें किसी ग्लानि का अनुभव नहीं होता।[12] स्पष्ट है कि इन देवदासियों को जीवनयापन के लिए वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

महाराष्ट्र में देवदासियों को मातंगी के नाम से जाना जाता है। कहीं–कहीं उन्हें नल्ली या मुरली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महिलाओं के साथ पुरुषों को भी देवदासी के रूप में समर्पित किया जाता है। ऐसे पुरुषों को वाज्ञा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में भी देवदासियों की अच्छी संख्या है। विशेषकर हैदराबाद, वारंगल, महबूबनगर, निजामाबाद आदि जिलों में सैंकड़ों स्त्रियाँ देवदासी बनकर वेश्यावृत्ति कर रही हैं।[13]

कर्नाटक अभिलेख आधारित सर्वेक्षण बताते हैं कि यूँ तो देवदासी प्रथा की व्याप्ति समूचे क्षेत्र में थी परंतु बीजापुर, धारवाड़, बेलगाम, मैसूर व चित्रदुर्गा में इसकी स्थिति अधिक मजबूत थी।

देवदासी प्रथा की अधिकांश व्याप्ति हमें दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। उत्तर भारत में इस्लामी शासन के कारण हिंदू धार्मिक रीति–रिवाजों तथा परंपराओं का प्राचीन व शुद्ध रूप नहीं बच पाया। दक्षिण भारत इस्लामी प्रभाव से बचा रहा जिस कारण वहाँ ये प्रथाएँ लंबे समय तक जारी रहीं।[14]

सुधार के प्रयास

देवदासी प्रथा में सुधार के प्रयास हमें उन्नीसवीं सदी के लगभग अंतिम दशकों में देखने को मिलते हैं। इस समय भारत की वास्तविक परंपरा को पुनर्स्थापित करने के बहुत सारे प्रयास हुए जिनमें बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा व देवदासी प्रथा जैसे विषय केंद्र में रहे। इनमें से देवदासी प्रथा अपेक्षाकृत रूप से लंबे समय तक विवाद का विषय बनी

इस प्रथा की समाप्ति का पहला ठोस प्रयास 1881 में वीरसालिंगम द्वारा किया गया। इन्होंने हिंदू व ईसाई मिशनरियों के सहयोग से 'मद्रास हिंदू सोशल रिफार्म एसोसिएशन' द्वारा इस प्रथा के विरोध में मद्रास शासन को ज्ञापन सौंपा तथा हजारों लोगों का समर्थन जुटाया।[15] देवदासी प्रथा की समाप्ति के लिए इस आंदोलन को मैसूर स्टेट की तरफ से भी भरपूर समर्थन मिला।

मद्रास प्रेसीडेंसी में यह आंदोलन वेंकटरत्नम नायडू के नेतृत्व में प्रभावी रूप से सामने आया। इन्होंने युवाओं व वयस्कों से बड़ी संख्या में शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर करवाए जिनमें देवदासियों से संबंधित किसी भी कार्यक्रम में या नृत्य–उत्सव में शामिल न होने जैसी बातें लिखी थी।[16]

इस प्रथा की समाप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास एस. मुथुलक्ष्मी रेड्डी द्वारा किया गया। इनका संबंध तमिलनाडु से था तथा इनकी माँ चन्द्रामाई देवदासी समुदाय से थी। वे देश की पहली महिला विधायक और मद्रास विधानसभा परिषद् की प्रथम महिला उपाध्यक्ष भी थी। 1926 से 1930 तक अपने पद पर रहते हुए उन्होंने देवदासी प्रथा का अंत, वेश्यालयों को बंद करवाने तथा महिलाओं व बच्चों की तस्करी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[17] इनके प्रयासों से मद्रास विधानपरिषद ने 1947 में सहमति से देवदासी प्रथा के विरुद्ध विधेयक को कानून बना दिया। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में अछूतों की तरफ से जो सुधारवादी आंदोलन चलाए गए, उनमें देवदासी प्रथा का विरोध भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसका नेतृत्व देवरैया ईंगिल ने किया जो महार जाति से संबंधित थे। समाज के लिए इन्होंने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया तथा अछूतों में व्याप्त अंधविश्वास व गंदी रीतियों पर प्रहार किया। इन मामलों में वे अक्सर डॉ. अम्बेडकर से सलाह लिया करते थे।

अछूतों में अपनी लड़कियों को मंदिर में समर्पित करने की परंपरा अंधविश्वास के रूप में अपनी गहरी जड़ें जमाए हुए थी। जोगती और बासवी देवदासियों के रूप में समर्पित होने वाली लड़कियों में सर्वाधिक संख्या अछूत लड़कियों की ही थी। देवरैया ने कविताओं, गीतों व नाटकों के माध्यम से अछूतों को इस प्रथा के दुष्परिणामों से अवगत करवाया। इनके द्वारा लिखित व निर्देशित नाटक 'कर्नाटक बहिष्कृत बोधिनी' का मंचन 1918 तक बेलगाम जिले के लगभग सभी गाँवों में हो चुका था। 12 नवम्बर 1924 में देवरैया ने एक मीटिंग में संबोधन हेतु डॉ. अंबेडकर को आमंत्रित किया। उन्होंने समाज के लोगों से अपनी लड़कियों को येल्लम्मा, खांडोबा आदि देवताओं को समर्पित करने का निषेध किया। 12 अप्रैल 1925 को निपानी में आयोजित 'मुम्बई क्षेत्रिय प्रांतिक बहिष्कृत परिषद' के 111 वें अधिवेशन में बोलते हुए डॉ. अम्बेडकर ने अछूतों की जीवनशक्ति का ह्रास होने के जो कारण गिनवाए, उनमें एक कारण अपनी लड़कियों को देवदासी के रूप में समर्पित करना था। उन्होंने ऐसे परिवारों को जमकर फटकार लगाई जो अपनी बहन–बेटियों से वेश्यावृत्ति करवाकर जीवनयापन कर रहे थे। इसी प्रकार की बातें उन्होंनें

1935 के योओला सम्मेलन में की। उनके विचारों से प्रभावित होकर बहुत सी महिलाओं नें धार्मिक वेश्यावृत्ति त्यागकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अन्य आंदोलनों के साथ–साथ दलित आंदोलन में भी देवदासी प्रथा एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में शामिल रही।

देवदासी प्रथा पर बने कानून तथा पुनर्वास के प्रयास

सरकार द्वारा देवदासी प्रथा पर रोक लगाने के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं। पहला प्रयास 1924 में देखने को मिला जब भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करके लड़कियों को मंदिरों में समर्पित करके वेश्यावृत्ति करवाने की परंपरा को अवैध घोषित किया गया। इसके पश्चात विभिन्न राज्यों द्वारा देवदासी प्रथा पर रोक लगाने के लिए अलग–अलग कानून पारित किये गए। 1934 में बाम्बे राज्य द्वारा 'बाम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम 1934' लागू किया गया। इसके अनुसार लड़कियों को उनकी सहमति के साथ या सहमति के बिना देवदासी के रूप में समर्पित किया जाना अवैध है।

स्वतंत्रता के पश्चात दो माह के भीतर मद्रास प्रेसीडेंसी ने 'मद्रास देवदासी समर्पण रोकथाम अधिनियम' पारित किया जिसे देवदासी उन्मूलन अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। इस कानून का उद्देश्य मंदिरों में समर्पण के माध्यम से हो रहा लड़कियों का शोषण रोकना तथा वृद्ध देवदासियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में सहायता करना था। 25 नवंबर 1982 को कर्नाटक विधानसभा ने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे गैर कानूनी घोषित किया।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम 1988 में लागू किया गया, परंतु विडंबना है कि 1988 से आज तक इस अधिनियम के तहत एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।[18] महाराष्ट्र में देवदासी प्रथा का उन्मूलन संबंधी कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। तमिलनाडु में भी देवदासी प्रथा को 1947 में प्रतिबंधित कर दिया गया था।

देवदासी प्रथा पर बने कानूनों और पुनर्वास संबंधी प्रयासों ने इस अमानवीय प्रथा पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, किंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक जागरूकता के बिना पूर्ण सफलता संभव नहीं है। अतः कानून के साथ–साथ शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक पुनर्वास की समन्वित नीति ही देवदासी प्रथा के स्थायी उन्मूलन का आधार बन सकती है।

वर्तमान स्थिति

स्वतंत्र भारत में देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध होने के बावजूद वर्तमान समय में भी दक्षिण भारत के कई राज्यों में मंदिरों में लड़कियों को देवदासी बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार व अन्य 6 राज्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि तमाम कानूनों के बावजूद देश के अलग–अलग हिस्सों में नाबालिग लड़कियों को देवदासी बनाया जाना जारी है। उच्चतम न्यायालय ने भी युवा लड़कियों को देवदासी बनाने की इस प्रक्रिया के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की थी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन लड़कियों का यौन शोषण होता है और उन्हें वेश्यावृत्ति की गर्त में धकेला जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मीडिया की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा था कि अधिकांश देवदासियाँ अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों से हैं। इसके अनुसार अकेले कर्नाटक में लगभग 70 हजार देवदासियाँ हैं। जस्टिस रघुनाथ राव की अध्यक्षता में गठित एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में देवदासियों की संख्या लगभग 80 हजार है।[19]

इक्कीसवीं सदी में जहाँ दुनिया भर की महिलाएँ पुरुषों के समान आगे बढ़ रही हैं, वहीं हमारे देश की कुछ लड़कियों को कम आयु में ही यौन हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। हालाँकि दक्षिण भारत उत्तर भारत की तुलना में अधिक शिक्षित और विकसित है, फिर भी वहाँ वर्तमान समय में भी देवदासी प्रथा बड़े पैमाने पर विद्यमान है। 2020 में आई राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दो लाख से अधिक देवदासियाँ आज भी हैं।[20]

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत में देवदासी प्रथा का उद्भव धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं से हुआ, किंतु समय के साथ यह स्त्री शोषण, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का माध्यम बन गई। समकालीन परिप्रेक्ष्य में कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद भी यह बड़े स्तर पर विद्यमान है। अतः इस प्रथा के उन्मूलन हेतु सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. विजयश्री, प्रियदर्शनी. (2020) *देवदासी या धार्मिक वेश्या? एक पुनर्विचार.* वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 9।
2. वर्मा, एस. आर. (2021) *भारतीय समाज एवं संस्कृति.* एस. वी. पी. डी. पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 213।
3. Thomas, P. (1964) *Indian women through the ages.* Asia Publishing House, Mumbai, p. 237.
4. Majumdar, B.P. (1960) *Socio economic history of northern India.* Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, p. 371.
5. Moni, N. (2001) Anthropological Perspectives on Prostitution and AIDS in India. *Economic and Political Weekly,* 36 (42), 4027.
6. See National Human Rights Commission of India and United Nations Dev. Fund For Women, supra note 13, at 195.
7. पूर्ववत्।
8. Anil, C. (2002). Devadasis – Sinners or Sinned Against. Retrieved from, www.samarthbharat.com. Accessed on 21/11/2015.
9. Evans, & Kirsti. (1998). Contemporary Devadasis empowered auspicious women or exploited prostitutes. *Bulletin of the John Rylands Library.* 80 (3), 27-28.
10. Omvedt, G. (1983). Devadasi custom and the fight against it. *Manushi,* 1(19), 16-19.
11. Up India https://hindi.opindia.com/national/last-devadasi-parasmani-odisha-jagannath-puri-temple-dies-ahead-of-rath-yatra/amp/, Accessed on 12/07/2021.
12. Pidiha, Akshita. Newstrack. https://newstrack.com/country/devadasi-pratha-india-roots-evils-devadasi-system-still-alive-young-girl-kudligi-karnataka-raised-voice-against-devadasi-system-284733, Accessed on 26/08/2021.
13. विजयश्री, प्रियदर्शनी. (2021) *देवदासी या धार्मिक वेश्या? एक पुनर्विचार.* वाणी प्रकाशन. पृष्ठ संख्या 88.
14. गवर्नर के निजी सचिव की तरफ से हिंदू सुधार संगठन (मद्रास) के सचिव को लिखा गया पत्र (4 अक्तूबर 1893). 9 अक्तूबर 1893 का द हिंदू भी देखें
15. विजयश्री, प्रियदर्शनी. (2021) *देवदासी या धार्मिक वेश्या? एक पुनर्विचार.* वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 38।
16. पूर्ववत्, पृ. 49।
17. SW Hindi (8 September 2022) https://hindi-scoopwhoop-com/amp/women/inspiring-story-of-dr-gold-medalist-muthulakshmi-reddy/, Accessed on 08/09/2022.
18. The New Indian Express. (20 August 2019) https://www-newindianexpress-com.translate.goog/states/andhra-pradesh/2019/Aug/20/acting-chief-justice-of-andhra-pradesh-high-court-calls-for-urgent-need-to-to-abolish-devadasi-syste-2021933.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc, Accessed on 20/08/2029.
19. Aura, Monthly E magazine. (December 2022). https://auramag.in/why-does-the-devadasi-system-still-exist-after-75-years-of-independence/, Accessed on 20/04/2026.
20. राष्ट्रीय महिला आयोग, वार्षिक रिपोर्ट 2020–21।

****